उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-34/2018/688/26-3-2018
लखनऊ दिनांकः 28 फरवरी 2018

आदेश/शुद्धि पत्र

सुश्री इन्दू मेहता पुत्री श्री निवास मेहता, निवासी-बडौत, जनपद-बागपत की वर्ष 2013-14, 2014-15 व वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0-1674600/-(रू0 सोलह लाख चौहत्तर हजार छः सौ मात्र) का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति से किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-18/2018/31/26-3-2018, दिनांक-05.02.2018 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के विषय एवं प्रथम प्रस्तर में वर्ष 2013-14, 2014-15 व वर्ष 2015-16 के स्थान पर वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 पढ़ा जाय। शासनादेश संख्या-18/2018/31/26-3-2018, दिनांक-05.02.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेगा।

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-34/2018/688(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. श्री पी0एस0 मेहता, रिसर्च आफिसर, मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन नई दिल्ली।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागपत।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in